

कार्यालय, अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा म.प्र.

E mail -Jsdjcdw@mp.gov.in, Fax no.-07162-247325


क्रमांक/2399 /निर्वाह/2025
प्रति,

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12.05.2026

संचालक,
सूचना एवं प्रकाशन विभाग,
जनसंपर्क भवन,
वाणगंगा मध्यप्रदेश, भोपाल


विषय :- जिला जेल छिन्दवाड़ा की द्वितीय वार्षिक ई-निविदा सूचना वर्ष 2026-2027 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बावत् ।

संदर्भ:- जेल मुख्यालय का पत्र क्रं. 8222/निर्वाह शाख/26 दिनांक 05.05.2026 ।



विषयांतर्गत अनुरोध है कि जेल मुख्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु प्रथम वार्षिक ई-निविदा अस्वीकृत कर पुनः निविदा कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित करने पर जिला जेल छिन्दवाड़ा हेतु खाद्यान्न, सब्जी एवं फल की द्वितीय ई-निविदा दिनांक 02.06.2026 को शाम 05.30 बजे तक आमंत्रित की गई है। दिनांक 04.06.2026 को प्रातः 11:30 बजे तकनीकी एवं दिनांक 05.06.2026 को दोपहर 12:00 बजे वित्तीय निविदायें ई-टेन्डरिंग के द्वारा खोली जायेगी।

कृपया निविदा का प्रकाशन एक सप्ताह के भीतर एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं संबंधित जेल के क्षेत्र में प्रचलित ख्याति प्राप्त किन्ही 02 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।


(प्रतीक कुमार जैन)
अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

पृष्ठांकनक्रं. 2400-2416 /निर्वाह/2025
प्रतिलिपि :-

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12.05.2026

1. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।(संलग्न 01प्रति)
2. कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा की ओर निविदा की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।
3. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री राहुल पटेल, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी जेल, छिन्दवाड़ा की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभागीय क्रय समिति की बैठक में नियत दिनांक 04.06.2026 को सम्मिलित होने की कृपा करें।
5. जनसंपर्क अधिकारी, जिला जनसंपर्क कार्यालय, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित एवं निवेदन है कि निविदा का स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

6. तहसीलदार छिन्दवाड़ा, की ओर निविदा की एक प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के स्थानीय बाजार भाव सील बंद लिफाफे में दिनांक 04.06.2026 के एक दिवस पूर्व इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्रचलित बाजार भाव नियत दिनांक को उपलब्ध ना कराने की स्थिति में निविदा की कार्यवाही की जाना संभव नहीं होगी, जिससे शासकीय धन का अपव्यय होगा। साथ ही निविदा की एक अतिरिक्त प्रति सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी छिन्दवाड़ा,की ओर निविदा की एक प्रति प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
8. प्रबंधक, कृषि उपज मण्डी समिति छिन्दवाड़ा की ओर प्रचार प्रसार हेतु।
9. प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रबंधक, मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ ।
11. प्रबंधक, लघु उद्योग निगम छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ ।
12. प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिन्दवाड़ा की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/व्यवसायियों को सूचित करने का कष्ट करें।
13. पंजीयक सहकारी समिति छिन्दवाड़ा की ओर भेजकर निवेदन है कि समस्त सहकारी समितियों को निविदा से अवगत कराने का कष्ट करें।
14. जिला ड्रग कन्ट्रोलर छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. स्थानीय व्यापारियों को टीप कराने हेतु प्रेषित।
16. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, सतना, जिला जेल सिवनी,बालाघाट,मण्डला,बैतुल,शहडोल, सब जेल अमरवाड़ा, बैहर, लखनादौन, वारासिवनी की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि निविदा का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।
17. जिला जेल छिन्दवाड़ा के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।


अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

कार्यालय, अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा म.प्र.

E mail -Jsdjcdw@mp.gov.in, Fax no.-07162-247325

—:: ई-निविदा वित्तीय वर्ष 2026-2027 ::—

mptenders.gov.in के माध्यम से ई-निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

जेल मुख्यालय, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 8222/निर्वाह शाखा/26, दिनांक 11.05.2024 द्वारा प्रथम वार्षिक निविदा अस्वीकृत कर खाद्यान्न तथा सब्जी एवं फल का पुनः निविदा कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने से निर्देशानुसार कार्यालय अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा में खाद्यान्न तथा सब्जी एवं फल का द्वितीय वार्षिक निविदाएं ई-टेंडर के माध्यम से ऑनलाईन निविदा **www.mptenders.gov.in** पर दिनांक 02.06.2026 को शाम 5:30 बजे तक ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	विवरण	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	ऑन लाईन निविदा प्रकाशन	13.05.2026	कार्यालय केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर
2.	प्रिबिड	25.05.2026	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा
3.	ऑनलाईन फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि, निविदा फार्म का मूल्य 05 लाख तक की निविदा हेतु 500/- तथा 05 लाख से अधिक की निविदा हेतु 1000/- रुपये प्रति फार्म राशि ऑनलाईन शीर्ष 0056-800 अन्य प्राप्तिर्याँ में जमा किया जाएगा।	02.06.2026 को सांयकाल 05:30 बजे तक	वेबसाईट www.mptenders.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
4.	ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.06.2026 को सांयकाल 05.30 बजे तक	वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर स्वीकार की जावेगी।
5.	नमूना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.06.2026 को सांयकाल 05.30 बजे तक	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा
6.	तकनीकी निविदा (आवश्यक दस्तावेज) एवं नमूनों की गुणवत्ता परीक्षण	04.06.2026 को प्रातः 11.30 बजे	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा
7.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	05.06.2026 को प्रातः 12.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा

निविदा फार्म एवं निविदा से संबंधित जानकारी **www.mptenders.gov.in** वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है। निविदा फार्म दर्शित वेबसाईट पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन पेमेंट कर क्रय किया जा सकता है।


अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

—: कार्यालय अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा, म.प्र.:—

—: ई-निविदा सूचना के नियम एवं शर्तें :—

- 1- वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए खाद्यान्न, सब्जिया व फल के क्रय की कार्यवाही म.प्र. जेल पूर्ति नियम 1968 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत ई-टेंडरिंग के माध्यम से अर्थात ऑन लाईन की जाएगी।
- 2- निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख रुपये तक रुपये 500/- एवं 05 लाख से अधिक रुपये 1000, प्रति निविदा फॉर्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेलें 800 अन्य प्राप्तियों में जमा करना होगा।
- 3- निविदाएं खंडवार पृथक-पृथक ऑनलाईन जमा की जाएंगी। निविदा में 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खंडानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	खण्ड का नाम	कुल लागत	03 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि
01	खाद्यान्न	1,45,20,000/-	4,35,600/-
02	सब्जियां एवं फल	22,00,000/-	66,000/-

- 4- वार्षिक ई-निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो वैध रहेंगे।
- 5- खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
- 6- उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जीएसटी रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7- निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएगी। तिथि परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।
- 8- प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 एवं जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3/भोपाल दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार कमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) में पृथक पृथक 200-200 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ- पत्र भी आवश्यक रूप से बनाये व इसको ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ-पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है:-

प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक-पृथक शपथ पत्र बनाया जाए। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है:-

—:शपथ पत्र :- (अ)

(कारागार अधिनियम-1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

(मैं..... जो केन्द्रीय जेल /जिला जेल/सब जेल.....
.....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा
हूँ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्मके
मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी
पद पर नियोजित नहीं है।)

हस्ताक्षर शपथकर्ता

(जेल मुख्यालय म.प्र.भोपाल के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3बंदी मृत्यु/2015 भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं.....जो केन्द्रीय जेल /जिला जेल/सब जेल.....
.....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..... की ओर से निविदा
प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा करने वाली फर्म
.....के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

- 9- तहसील या मंडी या खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।
- 10- निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराए जायेंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किए जायेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे :-
 - I. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड।
 - II. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र।
 - III. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न प्रमाण पत्र।
 - IV. विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र।
 - V. शपथ प्रमाण पत्र "अ" एवं "ब"।
 - VI. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस।
 - VII. खाद्य वस्तुओं/दवाइयों के लिए खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन वैध रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञप्ति (लायसेंस)।
 - VIII. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।
 - IX. दवाइयों की निविदा हेतु वैद्य ड्रग लायसेंस।
 - X. निविदा में उल्लेखित सामग्री के अपेक्षित नमूनों से संबंधित-पत्र।
 - XI. वस्तुओं के ब्रांड से संबंधित-पत्र।
 - XII. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा-पत्र।
- 11- निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
- 12- निविदा में उल्लेखित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सामग्रियों के ब्रांड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रांड के नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। नमूने 500-500 ग्राम के पारदर्शी डब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- 13- नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों में हस्ताक्षर कर, सील बंद डिब्बे में रखे जायेंगे। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुये साफ सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जाएंगी, व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।
- 14- निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (**Performance Guarantee**) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।
- 15- सब्जियाँ साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 07:00 बजे से 09:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुंचानी होगी। निर्धारित समय तक सब्जियाँ प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से क्रय की जाएगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा बिलंब से भेजी गई सब्जियाँ वापस कर दी जाएगी, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। जेल बगीचे से सब्जियाँ उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएंगी।
- 16- दवाईयों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैद्य ड्रग लायसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईयों एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउन्ट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होगी।
- 17- निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों में क्रय की जाएगी।
- 18- जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टॉप (वाणिज्यिक कर) विभाग मध्य प्रदेश के निर्धारित स्टॉप शुल्क अनुसार नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- 19- सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिये सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण-पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (**Performance Guarantee**) डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी/**Irrevocable** के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।
- 20- निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (एल-1) निविदा वापस लेते हेतु करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (**Performance Guarantee**) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (**Earnest Money Deposit**) की राशि जब्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।

- 21- सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तिया समझौते के अनुसार किशतों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल के गेट पर करनी होंगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। इन्डेंट प्राप्त करने की जबाबदारी निविदाकार की होगी।
- 22- प्रत्येक निविदाकर्ता को पत्राचार करने के लिए अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर/Whatsapp number /Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटर पेड पर मोबाइल नम्बर/Whatsapp number /Email ID में से कोई एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जायेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।
- 23- देयको का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु, डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में विलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
- 24- महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।
- 25- निविदा तथा करारनामों के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

- नोट :-**
1. निविदा में भाग लेने वाले साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारी संबंधी दस्तावेज (पार्टनरशिप डीड) प्रस्तुत किए जाए।
 2. पार्टनरशिप डीड में अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए हस्ताक्षर एवं निविदा हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों का मिलान किया जावेगा जो कि अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाए।
 3. पार्टनरशिप डीड अधिनियम 1932 के सेक्सन 25 के अनुसार हर भागीदार फर्म के ऐसे सब कार्यों के लिए जो उसके भागीदार रहते हुए किये जाते हैं, अन्य सब भागीदारों के साथ सयुक्ततः दायी है, और पृथकतः भी।
 4. यह भी सुनिश्चित हो कि भागीदारी के दस्तावेज फर्जी न हो तथा निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों को लिखित में सूचित कर दिया गया हो कि प्रस्तुतकर्ता को कार्यवाही के लिए सामूहिक रूप से अधिकृत किया गया है।
 5. यथासम्भव प्रासंगिक दस्तावेज ही संलग्न करें। दस्तावेज फर्जी/जाली पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

कार्यालय अधीक्षक, जिला जेल, छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

द्वितीय निविदा सूचना
फार्म "अ" (नियम-06 देखिए)

निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा www.mptenders.gov.in में निविदाएं निम्नलिखित सामग्री के लिए आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएं दिनांक 02.06.2026 को अपरान्ह 05.30 बजे तक ऑनलाईन आमंत्रित की जाती हैं। स्वीकृत निविदा के भाव दिनांक 31.03.2027 तक या आगामी वर्ष ठेका स्वीकृत होने तक, लेकिन अधिकतम अवधि 30.06.2027 तक वैध रहेगा।


वार्षिक ठेका वर्ष 2026-2027 हेतु लगने वाली सामग्री की सूची

वार्षिक ठेका खण्ड-01, खाद्यान्न (1,45,20,000/-)

क्र.	वस्तु का नाम	वार्षिक मात्रा	किस्म	कैफियत
1	गेहूँ	1000 विव.	औसत अच्छी किस्म	शास. / अर्द्धशास. संस्था से न मिलने पर ही क्रय किया जावेगा।
2	चावल कोर्रा	500 विव.
3	दाल तुअर	70 विव.
4	दाल मूंग छिलका	50 विव.
5	दाल उड़द छिलका	40 विव.
6	दाल चना	50 विव.
7	दाल मसूर	20 विव.
8	पोहा मोटा	28 विव.
9	देशी चना खड़ा	28 विव.
10	सोयाबीन तेल (रिफाईन्ड रुचि, पराग, कृति, सोयम, आहार, हेल्थ सुपर)	60 विव.	..	पैक टिन व ब्रांड का नाम लिखें।
11	ईमली बीज रहित या अमचूर	20 विव.	..	जो सरस्ता होगा, क्रय किया जावेगा।
12	गर्म मसाला	05 विव.	..	-
13	साबूदाना	02 विव.	..	-
14	फलीदाना	02 विव.	..	-
15	पिण्ड खजूर	50 किलो	..	-
16	शक्कर	80 विव.	..	शक्कर कंट्रोल से न मिलने पर क्रय की जायेगी।
17	गुड़ देशी	24 विव.	..	नई फसल का
18	चायपत्ती (बुकब्रांड एवन डस्ट, लिफ्टन, अग्नि, मार्वल, गुलाब कंपनी पैक में)	10 विव.	..	कम्पनी पैक में, बुकब्रांड एवन डस्ट न मिलने पर क्रय किये जायेंगे।
19	मिर्च पिसी	05 विव.	..	शास. / अर्द्धशास. संस्थाओं से प्राप्त न होने पर
20	हल्दी पिसी	05 विव.
21	घनियां पिसी	05 विव.
22	जीरा	01 विव.	..	-
23	वनस्पती घी (न्यूट्रीला, भास्कर, रुचि)	10 विव.	ब्रान्डेड कम्प. पैक में	दर किलो में, एगमार्क कम्पनी पैक (ब्रांड का नाम लिखें)
24	दूध	10000 लीटर	-	शासकीय डेरी से प्राप्त न होने पर।
25	दही	20 विच0	ताजा	..
26	नमकीन सेव/मिक्शचर	01 विव.	औसत अच्छी किस्म	-
27	बिस्कुट पारलेजी	01 विव.	..	-
28	टोस्ट	01 विव.	..	-
29	ब्रेड	01 विव.	..	-
30	अचार-आम/ऑंवला/नीबू/मिक्स	70 किलो	..	-

वार्षिक ठेका खण्ड-02, सब्जियां एवं फल (22,00,000 /-)

क्रं.	वस्तु का नाम	वार्षिक मात्रा	किस्म	कैफियत
1	आलू	100 क्विं	ताजा एवं औसत अच्छा	जेल बगीचे से प्राप्त न होने पर
2	प्याज सूखा	30 क्विं	"	"
3	कुम्हड़ा	30 क्विं	"	"
4	लौकी	30 क्विं	"	"
5	भिन्डी	10 क्विं	"	"
6	टिण्डा	10 क्विं	"	"
7	पालक	20 क्विं	"	"
8	बैंगन	40 क्विं	"	"
9	टमाटर	30 क्विं	"	"
10	सेमी	20 क्विं	"	"
11	मूली	10 क्विं	"	"
12	अरबी	20 क्विं	"	"
13	फूल गोभी पत्ता रहित	20 क्विं	"	"
14	पत्ता गोभी	20 क्विं	"	"
15	बरबटी	10 क्विं	"	"
16	लाल भाजी	10 क्विं	"	"
17	मेथी भाजी	10 क्विं	"	"
18	कटहल	10 क्विं	"	"
19	गिलकी	10 क्विं	"	"
20	तुरई	10 क्विं	"	"
21	शिमला मिर्च	10 क्विं	"	"
22	परबल	10 क्विं	"	"
23	हरी मटर	10 क्विं	"	"
24	करेला	10 क्विं	"	"
25	हरी घनिया	04 क्विं	"	"
26	हरी मिर्ची	06 क्विं	"	"
27	अदरक	01 क्विं	"	"
28	लहसून	01 क्विं	"	"
29	केला पका	2000 नग	"	-
30	सेवफल	50 किलो	"	-
31	चिकू	50 किलो	"	-
32	मौसमी	30 किलो	"	-
33	संतरा	10 किलो	"	-
34	अन्डा	2000 नग	"	शास. कुक्कुट उद्योग से प्राप्त न होने पर
35	गाजर	10 क्विं	"	-
36	ककड़ी	10 क्विं	"	-
37	कच्चा आम	05 क्विं	"	-
38	नीबू	10000 नग	"	-
39	सोयाबीन वरी	03 क्विं	औसत अच्छा	-
40	राजमा	03 क्विं	औसत अच्छा	-
41	सूखी मटर	03 क्विं	औसत अच्छा	-
42	काबुली चना	03 क्विं	औसत अच्छा	-
43	फरारा बीन्स	10 क्विं	ताजा एवं औसत अच्छा	जेल बगीचे से प्राप्त न होने पर
44	चुकंदर	10 क्विं	"	"
45	अनार	30 किलो	"	-


अधीक्षक
जिला जेल छिन्वाड़ा